भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2141

07.08.2025 को उत्तर के लिए

विश्व पर्यावरण दिवस 2025

2141. श्रीमती ममता मोहंता:

डा. के. लक्ष्मण:

श्री सुभाष बराला:

डा. दिनेश शर्मा:

श्री बृज लाल:

श्री अमर पाल मौर्य:

श्रीमती संगीता यादव:

श्रीमती माया नारोलिया:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान के प्रमुख घटक क्या हैं;

(ख) विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर शुरू किए गए राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल का महत्व क्या है; और

(ग) यह अभियान "स्वच्छता ही सेवा" और "मिशन लाइफ" के उद्देश्यों के साथ किस प्रकार संरेखित है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरण अभियान (एनपीपीआरसी) दिनांक 5 जून, 2025 को शुरू किया गया था। इस अभियान में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत बाघ संरक्षण तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की कार्यविधियाँ शामिल हैं। यह अभियान मिशन लाइफ के थीम के अनुरूप है जोकि एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम कर रहा है। इस अभियान के तहत कार्यविधियों में सरकारी कार्यालयों में,

विशेष रूप से विशेष अभियान 5.0 के दौरान, अनावश्यक एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने की थीम पर एकल-उपयोग प्लास्टिक के पर्यावरणीय विकल्पों पर एक हैकथॉन का आयोजन और रचनात्मक प्रतियोगिताओं जैसे कविता लेखन, नारा लेखन और लघु नाटकों (नुक्कड़ नाटक) के माध्यम से युवाओं को शामिल करना इस अभियान का हिस्सा बनाया गया।

राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल दिनांक 5 जून, 2025 को शुरू किया गया था। दिनांक 14 मार्च, 2024 को अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 के अनुसार, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय, जिला स्तरीय पंचायत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगी। वार्षिक रिपोर्ट का अनिवार्य ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण कई स्तरों पर होने वाली फिजीकल रिपोर्टिंग से हटकर एक परिवर्तनकारी कदम है। यह पोर्टल शहरी स्थानीय निकायों और जिला स्तरीय पंचायतों से उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट के विशिष्ट लक्षण और आकलन, प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण से संबंधित बुनियादी ढाँचे का विवरण, पहचान की गई एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध के प्रवर्तन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन के लिए की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा।
